

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश


राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प.19(1)शिक्षा-2/2016 पार्ट, जयपुर दिनांक : 04.07.2017 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने के अनुसरण में उनमें नाम के सामने अंकित प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम प्रधानाचार्य	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति
1	श्री जब्बर सिंह राव	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भारुन्दा-सुमेरपुर जिला पाली	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, सिरोही
2	श्री दीनबन्धू शर्मा	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीगोला-राजगढ़ जिला अलवर	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, अलवर


(नथमल डिडेल)
कार्यरस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांक-05.07.17

- क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/बी-4/प्रति./डीएलसीओ/2010
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0, जयपुर
 2. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर
 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
 4. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग
 5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, सिरोही/अलवर
 6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
 7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन सी, कार्यालय हाजा ।
 8. प्रभारी प्रभाग-बी-1/II, ए-3,4/5,6,8
 9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर